न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, एवम् न्याय निर्णयन अधिकारी, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी –श्री महेन्द्र लोढ़ा

सिविल प्रकरण संख्या 05/16 तारीख रजू 08/03/16

राजस्थान सरकार जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी,सवाईमाधोपुर। –आवेदक

बनाम

सलीम खां पुत्र उमर खां जाति मुसलमान निवासी श्री गणेश ज्यूस सेन्टर भाडौती तह0 मलारना डूगंर जिला सवाई माधोपुर ।

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11)

::निर्णय:: दिनांक: 3.5.18

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवम् मुख्य चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री उपेन्द्र मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18/05/2015 को 02:30 पी.एम. पर मैसर्स गणेश ज्यूस सेन्टर भाडौती तह0 मलारना डूगंर पर पहूँचा वहां पर सलीम खां पुत्र उमर खां (मौके पर विक्रेता) उपस्थित था। आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। वहां मैसर्स पर विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ पाइनेपल का ज्यूस लगभग 6 लीटर एक डी फ्रिजर में स्टील के वर्तन में दुकान में रखा हुआ था के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मौके पर नहीं होना बताया एवं बाद में पेश करने का निवेदन किया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिती में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली एवं नमूने की सभी औपचारिकता पूर्ण कर उक्त नमूना सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक ओ0पी0 पूर्विया चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर का जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/2513 दिनांक 11/08/2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एलएस 1042/एक्ट/2015/625 दिनांक 29/07/2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाईनेपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड **(Total soluble solids 4.13% Citric acid - 0-27%)** पाया गया है।

उक्त प्रकरण में विक्रेता द्वारा सबस्टेण्डर्ड **(Total soluble solids 4.13% Citric acid -0-27%)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाईनेपल का ज्यूस का विक्रय व निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(।।) का उल्लंघन किया है । जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है ।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज किया जाकर अभियुक्त को जरिए सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित हुआ। अभियुक्त द्वारा जबाब प्रस्तुत करने पर अभियोजन अधिकारी व अभियुक्त की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कहा कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड **(Total soluble solids 4.13% Citric acid -0-27%)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाईनेपल ज्यूस का विक्रय व निर्माण करने का दोष साबित है,अतः अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने जवाब में अंकित तथ्यों क हवाला देते हुए बहस में निवेदन किया है कि उक्त परिवाद में परिवादी फर्म का मालिक था या नहीं यह स्पष्ट नहीं किया गया है तथा पाईनेपल के ज्यूस में 91 प्रतिशत पानी रहता है। अभियुक्त एक मजदूर व्यक्ति है वह स्वयं फर्म का मालिक नहीं है, साथ ही आवेदक द्वारा प्रस्तुत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(11) आवेदन पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं0 एलएस 1042/एक्ट/2015/625 दिनांक 29/07/2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पाईनेपल का ज्यूस सबस्टेण्डर्ड **(Total soluble solids 4.13% Citric acid -0-27%)** पाया गया है तथा अभियुक्त ने अपनी बहस में उक्त फर्म का मालिक नहीं होना बताया है, लेकिन अभियुक्त द्वारा ना तो अपने जबाब में ना ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके अभियुक्त फर्म का मालिक न होकर अन्य व्यक्ति हो।

उक्तांकित विवेचन के आधार पर अभियुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम,2006 व नियम 2011 की धारा 26 (2) (11) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित हैं तथा चूकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध प्रथम बार किया जाना पाया जाता है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड **(Total soluble solids 4.13% Citric acid -0-27%)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ पाईनेपल ज्यूस का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवम् मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत 20,000 रूपये (बीस हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि से अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि तीस दिवस की अवधि के भीतर –भीतर न्याय निर्णय अधिकारी एवम् अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाईमाधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करवावे। अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी।आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिए पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवम
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाईमाधोपुर